

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

सं0सं0- पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0-39-02/2026 -67.

पटना, दिनांक-29/01/26

**कार्यालय आदेश**

विभागीय जाँच प्रतिवेदन एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में BPSCTRE-2 के तहत नियुक्त श्रीमती सिद्धि कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अथमलगोला, पटना के कर्तव्य से बार-बार अनुपस्थित होने, सरकारी कर्मों के आचरण के विरुद्ध कार्य करने, विद्यालय का माहौल खराब करने, विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में जवाब समर्पित नहीं करने आदि के संबंध में प्रतिवेदित बिन्दु निम्नवत है:-

(क) आवासीय विद्यालय होने के बावजूद ये प्रतिदिन विद्यालय छोड़कर घर (गृह जिला-खगडिया) चली जाती है।

(ख) बार-बार विद्यालय विलम्ब से आना, विद्यालय से अनुपस्थित हो जाना, बार-बार अवकाश स्वीकृत न कराकर अपितु Whatsapp से अवकाश आवेदन भेजना इनकी मनमर्जी और विद्यालय का माहौल खराब करने का प्रयास है।


(ग) आवास आवंटित होने के बावजूद इनके द्वारा आवासीय न होकर बहाना बनाया जाना/इनकार (Denial) किया जाना इनके मनमर्जी एवं विभागीय/वरीय पदाधिकारी के निदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

(घ) आवंटित कार्य करने हेतु कहे जाने पर मना करना और दूसरे शिक्षकों को भी कार्य नहीं करने हेतु उकसाने का कार्य करती है। विभागीय/वरीय पदाधिकारियों के आदेश/निदेश की परवाह न कर, विद्यालय विलंब से आने/बार-बार अनुपस्थित रहने एवं लगातार मनमानापन रवैया अपनाने के कारण विद्यालय के अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण पर ही नहीं अपितु विद्यालय की छात्राओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

(ङ) उपरोक्त के संबंध में विभागीय ज्ञापांक-36, दिनांक-13.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर भी इनके द्वारा ससमय स्पष्टीकरण नहीं किया जाना इनके मनमानेपन, कर्तव्यहीनता एवं विभागीय निदेश की अवहेलना को दर्शाता है। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका-3 (1) का उल्लंघन भी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती सिद्धि कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अथमलगोला, पटना को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में पदस्थापित किया जाता है। साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत इनके विरुद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित की जा रही है।


उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

  
29/11/26  
(गोपाल प्रसाद)  
उप निदेशक।

P.T.O


ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-02/2026 -67 पटना, दिनांक- 29/01/26  
प्रतिलिपि:-जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मामले से संदर्भित कागजात संलग्न कर निदेश है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती सिद्धि कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित)(कक्षा-6 से 8) के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन कर ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


  
उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-02/2026 -67 पटना, दिनांक- 29/01/26  
प्रतिलिपि:-सभी शिक्षक/शिक्षिका/प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेश है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में विहित प्रावधानों के अनुकूल आचरण करते हुए विभागीय/वरीय पदाधिकारी के निदेश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करें। विचलन की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

  
उप निदेशक।


ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-02/2026 -67 पटना, दिनांक- 29/01/26  
प्रतिलिपि:-उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, पटना/मुजफ्फरपुर/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/कोषांगार पदाधिकारी, पटना/पूर्वी चम्पारण/प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अथमलगोला, पटना/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
उप निदेशक।


ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-02/2026 -67 पटना, दिनांक- 29/01/26  
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशालय कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-02/2026 -67 पटना, दिनांक- 29/01/26  
प्रतिलिपि:- श्रीमती सिद्धि कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित)(कक्षा-6 से 8), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अथमलगोला, पटना को सूचनार्थ एवं ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-02/2026 -67 पटना, दिनांक- 29/01/26  
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
उप निदेशक।